संख्या-4/2026/938/26-2-2026/1629225

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2026

विषयः वृद्धाश्रमों का संचालन कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को माह मार्च एवं अप्रैल, 2026 तक का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-263/स0क०/अनु०/वृ०आ०/पत्रा०सं०-178/2026-27, दिनांक 10.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 75 जनपदों में संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्ध संवासियों एवं कार्मिकों के भोजन व्यय, पर्सनल केयर, औषधि, मनोरंजन, मानदेय, भवन किराया व प्रशासनिक व्यय मद में माह मार्च एवं अप्रैल, 2026 में 6425 संवासियों हेतु कुल व्यय धनराशि रू0 9,27,49,250/- (रूपया नौ करोड़ सत्ताईस लाख उनचास हजार दो सौ पचास मात्र) तथा सोसाइटी फॉर कम्प्यूटर एजूकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट इन रूरल एरिया 20/177, इन्दिरा नगर लखनऊ को माह जुलाई 2020 (28 दिन हेतु) में वृद्धाश्रम संचालन पर व्यय हुई धनराशि रू0 2,87,404/- (रूपया दो लाख सत्तासी हजार चार सौ चार मात्र), इस प्रकार **कुल धनराशि रू0 9,30,36,654/- (रू0 नौ करोड़ तीस लाख छत्तीस हजार छः सौ चौवन मात्र) के भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों का संचालन कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को माह मार्च एवं अप्रैल, 2026 के आवर्तक मद में व्यय के भुगतान के संबंध में वृद्धाश्रमों में निवासरत संवासियों के भोजन, औषधि, मनोरंजन, व्यक्तिगत केयर, मानदेय, भवन किराया, प्रशासनिक मद तथा वस्त्र हेतु धनराशि रू0 9,27,49,250/- (रूपया नौ करोड़ सत्ताईस लाख उनचास हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि तथा सोसाइटी फॉर कम्प्यूटर एजूकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट इन रूरल एरिया 20/177, इन्दिरा नगर लखनऊ को माह जुलाई 2020 (28 दिन हेतु) में वृद्धाश्रम संचालन पर व्यय हुई धनराशि रू0 2,87,404/- (रूपया दो लाख सत्तासी हजार चार सौ चार मात्र) **कुल धनराशि रू0 9,30,36,654/- (रू0 नौ करोड़ तीस लाख छत्तीस हजार छः सौ चौवन मात्र) के** व्यय के भुगतान की अनुमति निम्नवत् शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) निदेशालय द्वारा चिकित्सालयों में भर्ती होने की दशा में या अन्य कारणों से जिन वृद्धजनों की बायोमेट्रिक उपस्थिति capture नहीं हो पा रही है उनकी उपस्थिति की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में ही की जाए।

(2) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। किसी भी द्विरावृत्ति हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। प्रश्नगत धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है। इस सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण विभाग का होगा। निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भोजन आदि मदों में विभिन्न संस्थाओं को किये जाने वाले भुगतान तार्किक एवं नियमानुसार हो।

(5) सोसाइटी फॉर कम्प्यूटर एजूकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट इन रूरल एरिया 20/177, इन्दिरा नगर लखनऊ को माह जुलाई 2020 (28 दिन हेतु) में वृद्धाश्रम संचालन पर व्यय हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 08.06.2026 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत प्रकरण में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 28.04.2026, में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) आवर्तक मद में किए गए भुगतान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक माह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(8) जिस कार्य मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, प्रत्येक दशा में इसका व्यय उसी कार्यमद हेतु किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अनियमितता ऑडिट आपत्ति हेतु निदेशक, समाज कल्याण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

संजय कुमार तिवारी
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(6) समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्डफाइल।

संजय कुमार तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।